"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2003—चैत्र 21, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

क्रमांक 617/517/2003/1/2/लीव/आईएएस.—श्री आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 2-1-2003 से 17-1-2003 तक (16 दिवस) एवं दिनांक 27-1-2003 से 13-2-2003 तक (18 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 18-1-2003 एवं 19-1-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री बगाई यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

3. श्री बगाई को अवकाश काल में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री बगाई को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2003

क्रमांक 411/सचिव/ऊ.वि./2003.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत निम्नलिखित दो (2) उच्चदाब उपभोक्ताओं को उनके समक्ष दर्शाये आवंटन अनुसार, मेसर्स इस्पात गोदावरी लिमिटेड के 9 मेगावाट क्षमता के केप्टिव संयंत्र से उत्पादित विद्युत में से, जो स्वयं के उपयोग तथा संयंत्र की AUXILIARY खपत के पश्चात्, अतिशेष होगी, को विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करती है :—

क्रमांक	कंपनी का नाम	विक्रय हेतु आवंटित विद्युत यूनिट
1.	मेसर्स हीरा स्टील्स लिमिटेड, रावाभाठा, रायपुर	अधिकतम 5.11 लाख यूनिट प्रतिमाह
2.	मेसर्स आर. आर. इस्पात लिमिटेड, उरला, रायपुर	अधिकतम 5.11 लाख यूनिट प्रतिमाह
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल यूनिट	अधिकतम 10.22 लाख यूनिट प्रतिमाह

2. यह अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उच्चदाब उपभोक्ताओं को आवंटित विद्युत अंश में ± 10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन हेतु पुनः अनुमति आवश्यक नहीं होगी, किन्तु विद्युत विक्रय की कुल अधिकतम मासिक मात्रा यथा 10.22 लाख यूनिट ही रहेगी.

3. विद्युत मण्डल द्वारा केप्टिव संयंत्र हेतु जारी अनुमति व विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी अनुमति में निहित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं इस अधिसूचना में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा दी गई यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी.

4. यह अनुमति दिनांक 1 जनवरी 2003 से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्रमांक 714/ऊ. वि./2002.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 4528 दिनांक 2-12-2002 को निरस्त कर निम्नलिखित 7 (सात) उच्चदाब उपभोक्ताओं को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये आवंटन के

अनुसार मेसर्स इण्डो लहरी बॉयो पॉवर लिमिटेड, रायपुर को उनके 6 मेगावाट स्थापित क्षमता के विद्युत संयंत्र जो जरौदा ग्राम धरसींवा, जिला-रायपुर में स्थित है से उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करती है :—

क्रमांक	कंपनी का नाम	थर्ड पार्टी विक्रय हेतु आवंटित अधिकतम यूनिट प्रतिमाह (लाख यूनिटों में)
1.	मेसर्स राजाराम मेज प्रोडक्ट, राजनांदगांव	04.00 लाख
2.	मेसर्स लहरी लेमिनेट्स, रायपुर	02.00 लाख
3.	मेसर्स नूतन इस्पात पावर लिमिटेड	03.00 लाख
4.	मेसर्स इण्डो लहरी बॉयो पावर लि. मेल्टिंग प्लांट (स्वयं की इकाई) रायपुर.	18.60 लाख
5.	मेसर्स बजरंग मेटेलिक्स प्रा. लिमिटेड	03.00 लाख
6.	मेसर्स ए. सी. स्ट्रीप्स प्रा. लिमिटेड	00.60 लाख
7.	मेसर्स ए. सी. स्टील्स	00.30 लाख
		कुल योग 31.50 लाख यूनिट

2. उक्त अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त उच्चदाब उपभोक्ताओं को आवंटित विद्युत अंश में ± 10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन हेतु पुनः अनुमति आवश्यक नहीं होगी किन्तु विद्युत विक्रय की कुल मासिक मात्रा यथा 31.5 लाख यूनिट प्रतिमाह अपरिवर्तनीय रहेगी.

3. विद्युत मण्डल के पत्र क्रमांक मु. अ./वाणिज्य/1770, रायपुर दिनांक 25-10-2002 में अधिरोपित तथा इस अधिसूचना के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर शासन द्वारा दी गई यह मंजूरी स्वत: समाप्त हो जायेगी.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्रमांक 716/ऊ. वि./2003.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2727 दिनांक 15-7-2002 को निरस्त कर निम्नलिखित 16 (सोलह) उच्चदाब उपभोक्ताओं को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये आवंटन के अनुसार मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड रायपुर को उनके 6 मेगावाट स्थापित क्षमता के विद्युत संयंत्र जो सिरगिटी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला बिलासपुर में स्थित है से उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करती है :—

क्रमांक	कंपनी का नाम	थर्ड पार्टी विक्रय हेतु आवंटित अधिकतम यूनिट प्रतिमाह (लाख यूनिटों में)
1.	मेसर्स वंदना इस्पात लिमिटेड प्लाट नं. 6 सेक्टर-ई, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	4.10 लाख
2.	मेसर्स आर. आर. इस्पात लिमिटेड 490/ए उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	2.70 लाख
3.	मेसर्स वंदना इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं. 606 उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	4.70 लाख
4.	मेसर्स वंदना उद्योग लिमिटेड, प्लाट नं. 261 उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	1.50 लाख
5.	मेसर्स वंदना रोलिंग मिल्स लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर, प्लाट नं. 58, सेक्टर-डी उरला.	0.63 लाख
6.	मेसर्स रायपुर रोटोकास्ट लिमिटेड उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	1.80 लाख
7.	मेसर्स कमल साल्वेंट एक्सट्रेक्शन जी. ई. रोड, सोमनी, राजनांदगांव.	1.80 लाख
8.	मेसर्स पंकज आक्सीजन लिमिटेड उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर.	0.90 लाख
9.	मेसर्स गणपति इण्डस्ट्रीयल प्राइवेट लिमिटेड, उरला, रायपुर.	0.80 लाख
10.	मेसर्स साकेत इण्डस्ट्रीयल गैसेस लिमिटेड उरला, रायपुर.	0.40 लाख
11.	मेसर्स हनुमान एग्रो ग्राम-परागांव, नवापारा	6.64 लाख
12.	मेसर्स वंदना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, उरला सिलतरा, रायपुर.	3.15 लाख
13.	मेसर्स रायपुर रोटोकास्ट लिमिटेड, उरला, रायपुर	1.35 लाख
14.	मसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड, भनपुरी, रायपुर	0.80 लाख
15.	मसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड, उरला, रायपुर.	1.35 लाख
16.	मेसर्स एन. एम. डी. सी. लिमिटेड	6.80 लाख
		कुल योग 39.42 लाख यूनिट

2. उक्त अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त उच्चदाब उपभोक्ताओं को आवंटित विद्युत अंश में ± 10 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन हेतु पुनः अनुमति आवश्यक नहीं होगी किन्तु विद्युत विक्रय की कुल मासिक मात्रा यथा 39.42 लाख यूनिट प्रतिमाह अपरिवर्तनीय रहेगी.

3. विद्युत मण्डल के निर्दिष्ट पत्र में अधिरोपित तथा इस अधिसूचना के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर शासन द्वारा दी गई यह मंजूरी स्वत: समाप्त हो जायेगी.

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील मानी जायेगी.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2003

क्रमांक 78/44/ऊ. वि./2002.—राज्य शासन, एतद्द्वारा धारा 5 विद्युत अधिनियम 1948 सहपठित धारा 58 (4) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री बी. एस. बनाफर, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी तौर पर आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जाएंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

क्रमांक एफ-14-61/लोक अभि./गृह/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. अनुसूची-दो में, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	56	90%	10% यदि एल.एल.बी. उत्तीर्ण अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो ए.डी.पी.ओ. का पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा	सी.आर.पी.सी. लिपिक/सहायक ग्रेड-1, 2 एवं 3 तथा ए.पी.सी.डी. व पी.सी.डी. के संवर्ग में से केवल ऐसे अभ्यार्थी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे, जो क. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि (डिग्री) या उसके समतुल्य अर्हता रखते हों.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						ख. सी.आर.पी.सी. लिपिक/सहायक ग्रेड-1, 2 एवं 3 या पी. सी.डी. या ए.पी.सी.डी. के रूप में सेवा में बिना किसी व्यवधान के एक या अधिक दौर में कम से कम सात वर्षों का अनुभव रखते हों, और
						ग. "चालीस वर्ष से अधिक आयु का न हो".

2. अनुसूची-चार, में निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जाए, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	"सी.आर.पी.सी. लिपिक/ सहायक ग्रेड-1, 2 एवं 3 तथा पी. सी. डी. या ए. पी. सी. डी.	7 वर्ष तथा ऐसी अन्य शर्तें, जो अनुसूची दो में दर्शाई गई है	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, वर्ग-2	तदैव

Raipur, the 10th March 2003

No. F-14-61/Public P./Home/2002.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Public Prosecution (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1991, namely :—

AMENDMENT

In the said rules—

1. In schedule II, for the post of Assistant District Public Prosecution Officer and entries relating there to the following post and entries relating therein, shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	"Assistant District Prosecution Officer.	56	90%	10% if L.L.B. candidate not available then the post of AD PO shall be filled up by direct appointment	Only such candidates from amongst the cadre of CRPC Clerks/Assistant Grade-I, II, III and A.P. C.D. or P.C.D. shall be eligible for promotion to the post of Assistant District Public Prosecution Officer who— A. Posssses a Degree in Law from any recognised university or equivalent therof. B. Has atleast seven years experiences as CRPC Clerk/Assistant Grade-II/ Grade-I, II, III or A.P.C.D. or P.C.D. either in one or more spells without any break in the service, and

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						C. is not more than forty years of age".

2. In schedule IV, the following post and entries relating there to shall be added at the end, namely—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	"CRPC Clerks/Assistant Grade-I, II, III and A.P. C.D. or P.C.D.	7 years and such other conditions as shown in Schedule II.	Assistant District Public Prosecution Officer Class-II.	-do-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2003

क्रमांक 748/1855/श्रम/2002.—कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व सूचनाओं को उपांतरित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहायता करने हेतु, उन्हें अपनी-अपनी प्रशासनिक अधिकारिता में उक्त सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये क्रमश: संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का पदाभिधान (2)	नियुक्ति का प्रकार (3)	कार्य सीमा (4)	मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां (5)
1.	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक.	संपूर्ण राज्य के लिये.	छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 7, 9, 10 तथा 12 के अधीन कारखानों की अनुज्ञप्ति का क्रमश: नवीनीकरण, संशोधन या हस्तांतरण करना, जिसमें 100 से अनाधिक कामगारों का नियोजन प्रस्तावित है या नियोजित हैं, जिसमें वे स्थान भी सम्मिलित हैं जिन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक.	संपूर्ण राज्य के लिये.	छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 7, 9, 10 तथा 12 के अधीन कारखानों की अनुज्ञप्ति का क्रमशः नवीनीकरण, संशोधन या हस्तांतरण करना, जिसमें 100 से अनाधिक कामगारों का नियोजन प्रस्तावित है या नियोजित हैं, जिसमें वे स्थान भी सम्मिलित हैं जिन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया है.

Raipur, the 12th March 2003

No. 748/1855/Labour/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2-A) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (No. L XIII of 1948) and in supersession of all previous notifications issued in this respect, the State Govt. hereby appoint the officers as specified in column (2) of the table below as Joint Chief Inspector and Dy. Chief Inspector of Factories respectively to assist the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of Chief Inspector of Factories as Specified in column (5) of the said table in their respective administrative jurisdiction namely :—

TABLE

S. No. (1)	Designation of Officers (2)	Nature of Appointment (3)	Area of Jurisdiction (4)	Power of Chief Inspector of Factories (5)
1.	Joint Director, Industrial Health & Safety.	Joint Chief Inspector of Factories.	Whole of Chhattisgarh State.	Rule 7, 9, 10 & 12 of Chhattisgarh Factories rule 1962 for renewal, amendment and transfer of license of Factories propose to employ or employing not more than 100 workers, this also includes those establishments which are declared factories under section 85 of Factories Act, 1948.
2.	Dy. Director, Industrial Health & Safety.	Dy. Chief Inspector of Factories.	—do—	—do—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 438/1986/बत्तीस/आ. पर्या./2003.—एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री जावेद असगर सक्षम प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय

विकास प्राधिकरण रायपुर को, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 2 (ड़ ड़) के एवं सहपठित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम की धारा 2 (7) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए, नीचे दर्शाये गये क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

क्रमांक (1)	प्राधिकृत अधिकारी (2)	क्षेत्र (राजस्व जिले) (3)
1.	सक्षम प्राधिकारी, रायपुर	रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, कोरिया (सरगुजा पश्चिम) कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, जशपुर नगर एवं जांजगीर-चांपा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2003

क्रमांक एफ 1-6/खाद्य/2002/29.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नापतौल के लिये निम्नांकित पदों का सेट-अप (Set-up) स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	संचालक, खाद्य तथा नियंत्रक, नापतौल.	01	15100-18300 भा. प्र. से. (प्रवर श्रेणी)
2.	संयुक्त संचालक	02	12000-16500
3.	संयुक्त नियंत्रक, नापतौल	01	12000-16500
4.	उप संचालक	01	10000-15200
5.	उप नियंत्रक नापतौल	01	10000-15200
6.	सहायक संचालक	02	8000-13500
7.	लेखाधिकारी	01	8000-13500 (प्रतिनियुक्ति पर)
8.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	01	5500-9000

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	02	4500-7000
10.	स्टेनो टायपिस्ट	01	3050-4590
11.	अधीक्षक	02	5500-9000
12.	सहायक अधीक्षक	01	4500-7000
13.	सहायक ग्रेड-1	06	4500-7000
14.	सहायक ग्रेड-2	06	4000-6000
15.	सहायक ग्रेड-3	09	3050-4590
16.	लेखापाल	02	4000-6000
17.	खाद्य निरीक्षक	02	4000-6000
18.	डाटा एण्ट्री आपरेटर	02	संविदा पर
19.	वाहन चालक	01	3050-4590
20.	वाहन चालक	03	कलेक्टर दर
21.	दफ्तरी	01	2610-3540
22.	जमादार	01	2610-3540
23.	भृत्य/श्रम सहायक	03	2550-3200
	भृत्य/श्रम सहायक	04	कलेक्टर दर
24.	चौकीदार	01	2550-3200
25.	फर्राश	01	कलेक्टर दर
26.	स्वीपर	01	कलेक्टर दर अंशकालिक
	योग	59	

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नापतौल (मैदानी अमले) के लिये पद संरचना निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	खाद्य नियंत्रक	04	10000-15200
2.	खाद्य अधिकारी	12	8000-13500
3.	सहायक नियंत्रक नापतौल	03	8000-13500
4.	सहायक खाद्य अधिकारी	35	4500-7000
5.	निरीक्षक नापतौल	28	4000-6000
6.	खाद्य निरीक्षक	115	4000-6000
7.	सहायक ग्रेड-1	21	4500-7000
8.	सहायक ग्रेड-2	37	4000-6000
9.	सहायक ग्रेड-3	64	3050-4590
10.	लेखापाल	16	4000-6000
11.	स्टेनो टायपिस्ट	04	3050-4590
12.	वाहन चालक	16	3050-4590
	वाहन चालक	02	कलेक्टर दर
13.	श्रम सहायक/भृत्य	74	2550-3200
14.	चौकीदार	16	2550-3200
	योग	447	

2. सेवा भरती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जाएगा.

3. स्वीकृत सभी पद स्थायी होंगे.

4. पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पदों के भरने की छूट आवश्यकतानुसार पृथक् से वित्त विभाग से प्राप्त की जावेगी.

5. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जाएंगे. यह पद अन्य विभागों के अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जावेंगे.

6. सभी पदों के वेतनमान सही है, पुष्टि कर ली गई है.

7. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :—

(1) मांग संख्या-39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित शीर्ष-2408-खाद्य भण्डारण और भण्डागारण (01) खाद्य (001) निर्देशन और प्रशासन 1471-जिला कार्यालय तथा 3537-मुख्य कार्यालय-आयोजनेत्तर, वर्गीकरण सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है.

(2) मांग संख्या-39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित शीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (106) तौल और माप का विनियमन-6112-मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय-आयोजनेत्तर, वर्गीकरण सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है.

8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 53/CR/1388/B-5 दिनांक 4-2-2003 द्वारा महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को पृष्ठांकित की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट ''अ''

वर्गीकरण सूची

संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	संख्या (3)	
1.	संचालक, खाद्य तथा नियंत्रक, नापतौल	1	
2.	संयुक्त संचालक	2	
3.	उप संचालक	1	
4.	सहायक संचालक	2	
5.	लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
6.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	1	
7.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	1	
8.	अधीक्षक	1	
9.	स्टेनो टायपिस्ट	1	
10.	सहायक अधीक्षक	1	
11.	सहायक ग्रेड-1	4	
12.	सहायक ग्रेड-2	3	
13.	सहायक ग्रेड-3	6	
14.	लेखापाल	1	
15.	खाद्य निरीक्षक	2	
16.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	संविदा पर
17.	वाहन चालक	1	
18.	वाहन चालक	2	

(1)	(2)	(3)	
19.	दफ्तरी	1	
20.	जमादार	1	
21.	भृत्य/श्रम सहायक	2	
22.	भृत्य/श्रम सहायक	2	कलेक्टर दर
23.	चौकीदार	1	
24.	फर्राश	1	
25.	स्वीपर	1	अंशकालिक
		41	

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (मैदानी अमला)

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	संख्या (3)
1.	खाद्य नियंत्रक	4
2.	खाद्य अधिकारी	12
3.	सहायक खाद्य अधिकारी	35
4.	खाद्य निरीक्षक	115
5.	सहायक ग्रेड–1	16
6.	सहायक ग्रेड–2	30
7.	सहायक ग्रेड–3	37
8.	लेखापाल	16
9.	स्टेनो टायपिस्ट	4
10.	वाहन चालक	16
11.	भृत्य	32
12.	चौकीदार	16
		333

परिशिष्ट "ब"

नापतौल नियंत्रालय (मुख्यालय)

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	संख्या (3)	
1.	संयुक्त नियंत्रक	1	
2.	उप नियंत्रक	1	
3.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	1	
4.	अधीक्षक	1	
5.	सहायक ग्रेड-1	2	
6.	सहायक ग्रेड-2	3	
7.	सहायक ग्रेड-3	3	
8.	लेखापाल	1	
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	(संविदा पर)
10.	वाहन चालक	1	
11.	भृत्य/श्रम सहायक	1	
12.	भृत्य/श्रम सहायक	2	कलेक्टर दर
	नापतौल (मैदानी अमले)		
1.	सहायक नियंत्रक	3	
2.	निरीक्षक	28	
3.	सहायक ग्रेड-1	5	
4.	सहायक ग्रेड-2	7	
5.	सहायक ग्रेड-3	27	
6.	वाहन चालक	2	कलेक्टर दर
7.	श्रम सहायक	42	
	योग	132	

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर हेतु संदर्भित ज्ञाप दिनांक 4-12-2002 द्वारा स्वीकृत पदों की संरचना के अतिरिक्त निम्नलिखित और अस्थायी पदों की संरचना स्वीकृत की जाती है, एवं इन पदों को वर्ष 2003-04 में दिनांक 29-2-2004 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक (1)	पदों का विवरण (2)	संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	रजिस्ट्रार	01	15100-400-18300
2.	प्रशासकीय अधिकारी	01	6500-200-10500
3.	निज सचिव	01	6500-200-10500
4.	स्टेनो टायपिस्ट	01	3050-4590 + विशेष वेतन 150/-
5.	सहायक ग्रेड-1	01	4500-125-7000
6.	रीडर	01	4000-100-6000
7.	नाजिर	01	4000-100-6000
8.	आदेशिका वाहक	01	2610-60-3150-65-3540
9.	भृत्य	01	2550-55-2660-60-3200
10.	फर्राश	01	2550-55-2660-60-3200

(2) उपर्युक्त में से रजिस्ट्रार का पद प्रतिनियुक्ति से भरा जावे. सीधी भर्ती के सभी अस्थायी पद डिप्लायमेंट से भरे जावें तथा पदोन्नति के पद पदोन्नति द्वारा भरे जावें.

(3) उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप दिनांक 4-12-2002 द्वारा स्वीकृत पदों की सूची के अनुक्रम 3 में उल्लेखित "रजिस्ट्रार सह प्रशासकीय अधिकारी" का पद समाप्त माना जावे.

(4) उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 39 शीर्ष-2408-खाद्य भण्डारण और भण्डागारण 01 खाद्य-001 निर्देशन और प्रशासन-629 उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ-01 वेतन एवं भत्ते आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

(5) यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 131/CR/437/B-5/वित्त दिनांक 13-3-2003 द्वारा महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्रमांक डी-369/374/2001/आजाक.—राज्य शासन द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, आ. जा., अनु. जा., पि. वर्ग एवं अ. सं. वि. रायपुर (संचालनालय) में विभागीय संरचना (सेट-अप) के अंतर्गत 165 पदों का आवंटन किया है, जिसमें वित्त विभाग के अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार पदों के स्थाई रूप से निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	आयुक्त		01	आय. ए. एस. संवर्गीय वेतनमान
2.	संचालक	16400-20000	01	आय. ए. एस.
3.	अपर संचालक	14300-18300	02	
4.	उप संचालक	10000-15200	02	
5.	संयुक्त संचालक	12000-16500	04	
6.	संयुक्त संचालक (वित्त)	12000-16500	01	राज्य वित्त एवं लेखा सेवा से
7.	सहायक संचालक	8000-13500	07	
8.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	5500-9000	01	संवर्गीय वेतनमान
9.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	6500-10500	01	
10.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	5500-9000	02	
11.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	4500-7000	03	
12.	स्टेनोटायपिस्ट	3050-4590	05	
13.	लेखाधिकारी	6500-10500	03	डाईंगकेडर
13. (ए)	लेखाधिकारी	8000-13500	03	संवर्गीय वेतनमान
14.	अंकेक्षण/कनिष्ठ लेखाधिकारी	4500-7000	05	
15.	लेखापाल	4000-6000	05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	सांख्यिकीय अधि.	8000-13500	01	संवर्गीय वेतनमान
17.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	5500-9000	07	डाईंगकेडर
18.	संगणक	4000-6000	01	डाईंगकेडर
19.	अधीक्षक	5500-9000	02	
20.	सहायक अधीक्षक	4500-7000	03	
21.	सहायक ग्रेड-एक	4500-7000	13	
22.	सहायक ग्रेड-दो	4000-6000	15	
23.	सहायक ग्रेड-तीन	3050-4590	30	
24.	डाटा एंट्री आपरेटर	3500-5200	03	
25.	वाहन चालक	3050-4590	01	
25. (ए)	वाहन चालक	2610-3540	05	
26.	दफ्तरी	2610-3540	01	
27.	जमादार	2610-3540	01	
28.	भृत्य	2550-3200	10	
28. (ए)	भृत्य	(जिलाध्यक्ष दर पर)	20	
29.	चौकीदार	(जिलाध्यक्ष दर पर)	04	
30.	स्वीपर	(जिलाध्यक्ष दर पर)	02	
			165	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है :—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

(2) स्वीकृत पद स्थाई हैं, जबकि कोई अन्यथा उल्लेख न किया जाये.

(3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे, जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक् से छूट प्राप्त न कर ली जाये.

(4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी-भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.

(5) स्वीकृति ज्ञाप में दर्शाये गये वेतनमान सहीं है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप है.

(6) सभी पद रि-डिप्लायमेंट के माध्यम से भरे जायेंगे.

3. उक्त व्यय मांग-संख्या-33-मुख्यशीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर-001-निर्देश और प्रशासन-6130-संचालनालय के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 52/SR-33/ब-3/चार/03 दिनांक 29-1-2003 द्वारा महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 फरवरी 2003

क्रमांक 538/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिटिया प.ह.नं. 17	9.81	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, दुर्ग.	लुमाखुर्द जलाशय क्रमांक 1 लिटिया के लिए अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 फरवरी 2003

क्रमांक प्र. 539/अविअ/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	गाडाडीह प.ह.नं. 21	3.29	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला दुर्ग.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 फरवरी 2003

क्रमांक प्र.540/अविअ/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पुरदा प.ह.नं. 21	0.33	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला दुर्ग.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 20 मार्च 2003

प्र. क्र. 6 अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित सम्पत्ति की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त सम्पति के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

सम्पति का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सम्पत्ति का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	जुनवानी	(1) कुआं निजी-4 (2) कुआं शासकीय-1 (3) ट्यूबवेल-2 (4) मकान निजी-88 (5) शासकीय भवन-7 (6) हैण्डपंप-5 (7) वृक्ष-1232	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सुतियापाट परियोजना

सम्पत्ति के प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 17 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बनियागांव	2.17	कार्यपालन यंत्री/टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	बनियागांव जलाशय की माइनर नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अम्बिकापुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

रा.प्र.क्र./18/अ-82/1990-1991.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	गेरसा	3.551	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अम्बिकापुर.	गेरसा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

रा.प्र.क्र./19/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रेवापुर	1.495	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 10 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र./20/अ-82/2002-2003.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	केराकछार	0.947	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अम्बिकापुर.	केराकछार जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 10 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र./21/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	ससकालो	1.729	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र./22/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	छिन्दकालो	0.392	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई नहर प्रणाली के छिन्दकालो सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र./23/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बरगंवां	5.440	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई नहर प्रणाली के बरगंवां मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 677/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उप धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	कुसमी	कोदवा	36.583	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	चन्द्रनगर जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अम्बिकापुर, दिनांक 20 मार्च 2003

क्रमांक 679/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उप धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	कुसमी	चन्द्रनगर	1.528	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्र.-2, अम्बिकापुर.	चन्द्रनगर जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंम्बिकापुर, दिनांक 20 मार्च 2003

क्रमांक 631/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	रामपुर	0.720	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	रामानुजगंज-वाड्रफनगर सेन्दूर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 831/क/भू-अर्जन/1/अ-82/ वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	सूखापाली प.ह.नं. 50/25	2.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद	सूखापाली जलाशय के उलट निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

महासमुन्द, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 588/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद प.ह.नं. 142	0.64	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ.ग.)	कोडार परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 633/ अ.वि.अ./भू-अर्जन/17/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खोपली प.ह.नं. 118/65	0.75	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ.ग.)	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 631/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	सेनभाठा प.ह.नं. 113/60	2.51	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ.ग.)	अपर जोंक परियोजना के सेनभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 619/अ.वि.अ./भू-अर्जन/21/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खट्टी प.ह.नं. 113/60	0.35	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ.ग.)	अपर जोंक परियोजना के सेनभाठा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 621/अ.वि.अ./भू-अर्जन/23/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	अमनपुरी प.ह.नं. 113/60	0.05	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद (छ.ग.)	अपर जोंक परियोजना के परसुली माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

प्र. क्र. 41/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	तेन्दुवा	0.536	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	जामजोरी प.ह.नं. 38	12.461	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झोरझोरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 2068/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	इटीकसा प.ह.नं. 24	4.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 2069/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मण्डला प.ह.नं. 25	1.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 2070/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	डोकराभांठा प.ह.नं. 25	2.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-किरकार, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.417 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
235/4	0.020
234/2	0.049
235/1	0.016
232/1-2	0.045
235/2	0.012
232/3	0.049
241/5	0.020
241/6	0.028
241/7	0.040
241/8	0.020
241/2	0.065
242/2	0.053
योग	0.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-किरकार माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बन्दोरा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.033 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
826/1	0.012
674	0.170
670/2	0.016
828	0.010
669	0.044
829	0.016
668/2	0.040
666	0.214
626	0.004
852	0.412
858/3	0.004
886	0.105
891	0.226
878	0.016
892	0.101
877	0.287
899	0.074
901	0.093
902	0.032
918/3	0.157
योग	2.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चरौदी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डबरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.200 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
549	0.008
550, 551	0.101
553	0.040
555/3	0.040
558	0.069
554, 555/2	0.024
559	0.020
560/1	0.069
566/1	0.061
594/1	0.234
592/4	0.040
600/5	0.020
600/2	0.101
601/4	0.008
601/1	0.057
601/2	0.028
602/3	0.081
677/2	0.069
677/1	0.057
690/8	0.053
690/6	0.008
684	0.012
योग	1.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कांसा माइनर (सिंघरा) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खरताल, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.253 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69/3	0.076
70/1	0.056
97/1	0.020
96	0.101
योग	0.253

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-खरताल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
784/4	0.178
784/17	0.036
800/22	0.061
794/1-2	0.081
795/1	0.024
796/1	0.057
797/2	0.036
797/6	0.065
800/11	0.105
800/9	0.036
800/18	0.049
393/2	0.049
393/3	0.032
योग	0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पिरदा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 06/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे रबेली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
645	0.045
642	0.036
646	0.101
647	0.077
योग	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रबेली माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 07/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-शेरो सब डि. ब्यू. (सिंघरा) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 08/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बन्दोरा, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.696 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1209/1	0.080
1210/8	0.129
1170/2	0.024
1170/3	0.024
1170/8	0.061
1162	0.085
1161	0.032
1173	0.016
1172	0.101
1175/1	0.040
1175/2	0.056
1175/3	0.012
1176/2	0.008
1177/1	0.028
योग	0.696

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चरौदी सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 09/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.021 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220/1	0.004
220/2	0.073
220/4	0.077
424/5	0.016
224/2, 224/3	0.121
225/16	0.061
225/15	0.085
225/14	0.012
225/13	0.109
225/6	0.109
240	0.028
233, 235, 236	0.085
229/5, 231	0.036
230/4	0.109
228/2	0.045
260/26	0.008
239	0.035
237	0.008
योग 18	1.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगझर सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-तौलीपाली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101/2	0.016
101/1	0.073
102/1, 103, 104/1	0.101
योग 3	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 11/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412/1	0.016
404, 407/1	0.134
412/2	0.117
412/3	0.073
410/2	0.053
297/1	0.004
412/4	0.073
300/2	0.061
409	0.020
476	0.036
408/2	0.016
405, 406	0.089
474/5	0.089
407/2	0.012
407/3	0.004
426/1, 430/2	0.004
427	0.174
426/2	0.004
449/2	0.045
474/1	0.016
449/1	0.024
474/4	0.129
474/2	0.032
448/1	0.126
453	0.057
452/2	0.028
347/2	0.036
454, 457, 458	0.028
473/2	0.008
455, 456	0.117
475/2	0.057
475/3	0.085
480/4	0.016
475/4	0.089
475/1	0.040
474/6	0.153
योग	2.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-फगुरम सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 12सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	0.045
175/1, 177	0.049
175/2	0.016
176	0.004
190/2	0.133
199	0.004

(1)	(2)
214/1	0.020
198	0.065
200/1	0.024
197	0.020
200/2	0.057
योग	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कांसा माइनर (सिंघरा) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 13/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-भांटा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/4	0.028
108/7	0.069
योग	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-दारीमुड़ा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 14/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-तौलीपारा, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209/8	0.012
209/4	0.012
209/13	0.012
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-दारीमुड़ा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 15/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बेनीपाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.852 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86	0.053
145	0.012
88/4	0.045
88/3	0.053
88/1	0.008
85/2	0.012
102/5	0.040
85/1	0.024
102/4	0.012
96/1	0.053
95/2	0.061
95/3	0.076
98	0.076
102/1	0.004
102/3	0.024
76/2	0.081
77	0.121
70	0.069
71	0.008
69/1	0.020
योग 20	0.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कुधरी सत्र डिस्ट्री. ब्यूट्री सिंघरा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 16/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-ढोलनार, प.ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.329 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.020
172	0.049
175	0.105
178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5	0.332
179/1, 179/2	0.117
180, 181	0.243
184	0.230
185	0.233
योग	1.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 17/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.981 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1	0.044
21/2	0.028
22/3	0.101
23/9	
17	0.027
19/1-2	
19/3	
42	0.032
41/1	0.032
41/2	
37/4	0.044
38/3	0.044
38/1	0.036
38/4	0.048
38/5	0.012
38/2	0.012
69/1	0.016
67	0.060
68	0.052
69/2	
74	0.32
65/1-3	0.028
65/2	
64/1	0.012
76	0.024
194/1	0.032
194/2	0.024
194/3	0.020
194/4	0.032
196/1	0.024
197/1	0.052
222/1	0.089
222/2	
222/3	
223/1	0.012
223/2	0.012
योग	0.981

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बोकरेल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 18/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अचरितपाली, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/8	0.105
102/10	0.053
102/9	0.061
99	0.049
97/3	0.097
97/2	0.032
98/1	
100/2	0.008
168/3	0.093
167/4	0.190
166/1	0.004
166/4	0.073
167/5	0.004
166/6	0.024
166/7	0.045
166/8	0.032
165	0.061
163	0.065
161	0.065
160/1	0.089
211/1	0.057
212	0.113
167/2	0.004
211/2	0.069
योग	1.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अच-रितपाली सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 19/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
325	0.012
326/1	0.016
327	0.020
322/2	0.081
322/3	0.109
326/2	0.081
326/3	
328	0.049
317/2	0.069
334	0.024
315/4	0.016
335/1	0.028
335/3	0.040
341	0.020
357	0.032
356	0.036
343	0.053
353	0.145
350	
351	0.093
365/1	0.040
365/2	0.092
366	0.101
367	0.121
315/2	0.061
340	0.121
योग 22	1.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-देवरघटा माइनर (सिघरा + देवरघटा में).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 20/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
297/2	0.028
296	0.271
297/1	0.073
योग	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सपिया माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 21/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सारस केला, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.045
80/3	0.045
81/1	0.110
26/1	0.061
80/2	0.065
27	0.116
82	0.152
योग	0.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सारस केला माइनर (सिंघरा + सेरोसब डिस्ट्रीब्यूट्री)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 22/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सारस केला, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.264 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
559	0.057
556	0.016
142/1, 142, 143, 144/1	0.226
538/1	0.045
538/2	0.032
543	0.101
483/2	0.243
472/3	0.170
472/2	0.077
474/1	0.032
474/2	0.142
482/1	0.036
302/2	0.045
302/4, 341/3	0.073
302/3	0.057
302/1	0.020
290	0.045
286/6	0.008
279/1	0.016
283/1	0.045
278	0.069
291/1	0.004
286/1	0.032
280	0.045
282	0.053
281	0.053
273/1	0.207
273/2	0.101
272/4	0.049
272/8	0.020
272/2	0.004
570, 569, 566	0.048
564	0.093
योग	2.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-परसी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 23/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अडभार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.261 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
908/1	0.004
906	0.068
908/4	0.121
902	0.068
योग	0.261

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अडभार माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 24/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोगरीडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.658 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/5	0.053
1/10	0.065
1/6	0.049
32/2	0.032
13/2	0.049
1/7	0.016
1/3	0.081
9/7	0.089
9/5	0.097
2	0.130
47/9	0.008
3/2	0.057
21/3	0.016
14/2-3	0.024
19/1	0.041
21/4	0.024
24/3	0.032
9/18	0.016
10/1	0.016
10/3	0.024
10/2	0.045
19/2	0.024
30/2	0.008
45/4	0.041
19/16	0.037
19/4	0.041
31/2	0.041
25/5	0.057
31/1	0.045
32/1	0.032
44/3	0.016
44/4	0.032
19/17	0.041
44/6	0.016
45/3	0.041
19/9	0.057
17	0.041
48/6	0.024
48/9	0.016
47/11	0.016
47/6	0.016
48/5	0.032
9 (P)	0.020
योग	1.658

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अमलीडीह सब ब्रांच माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 25/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बड़े रबेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
922	0.089
921	0.012
920/1	0.093
920/2	
916/1444	0.008
894/2	0.085
894/3	0.073
891/2	0.120
892	
895	
योग	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रबेली सब ब्रांच माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 26/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बन्दोरा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.685 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
996/1	0.008
994	0.032
1211	0.012
1215	0.100
1221	0.122
1222	
1209/3	0.008
1208/1	0.016
1208/3	0.040
1207	0.008
1203/2	0.073
1203/1	0.016
1205	0.024
1202/2	0.032
1201	0.154
1193	0.032
1210/3	0.008
योग	0.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चरौदी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 27/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
474/5	0.057
473	0.057
470/1	0.069
464	0.036
237	0.153
475/2	0.032
475/1	0.045
477/1	0.016
470/2	0.061
469	0.061
468	0.077
462/2	0.049
461	0.057
463	0.049
234	0.065
462/3	0.065
465/1	0.089
236/1	0.057
235	0.093
227/2	0.049
148/2	0.061
148/1	0.089
149/1 149/2	0.101
145/4	0.012
152/4	0.012
योग	1.512

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-झर्रा माइनर (सिंघरा, फगुरम) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 28/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.973 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
647 648	0.028
646	0.028
650	0.028
649	0.020
645	0.150
651/1	0.032
653	0.045
654	0.040
655/4	0.081
655/1	0.040
665/3	0.040
656/2	0.012
762/3	0.182
656/3	0.077
656/1	0.020
663	0.061
661	0.069
660/1	0.166
731/1	0.113
660/2	0.040
731/2	0.032
660/3	0.166

(1)	(2)
672/6	0.166
470/1	0.061
672/9	0.150
672/14	0.053
672/1	0.077
468	0.142
672/10	0.053
732/1	0.275
732/2	0.040
737/1	0.243
737/2	0.133
470/3	0.081
773/3	0.146
469/2	0.130
762/5	0.146
762/10	0.073
762/1	0.061
771/1	0.134
771/2	0.121
771/3	0.109
739/1	0.101
737/3	0.008
योग	3.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रबेली उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 29/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.400 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172	0.130
176/1-2	0.450
196/2	0.275
196/1	0.154
197/1	0.032
197/6	0.032
197/5	0.032
197/2	0.085
185/1	0.008
186/1	0.202
योग 10	1.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सारस-डोल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 30/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेसीपत, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
869/4 क	0.106
869/4 ग	0.056
योग	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगझर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 31/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-सुखदा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.505 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
906	0.049
905	0.073
923/1	0.162
925	0.008
909/1	0.008
930	0.073
929/2	0.016
971/3	0.024
931/1	0.117
936/2	0.012
936/3	0.008
958/4	0.053
936/1	0.004
935/1 क	0.065
935/1 ग	0.162
952/3	0.089
952/2	0.053
953/3	0.061
952/1	0.004
957/2	0.158
957/3	0.230
957/1	0.045
958/3	0.057
971/5	0.012
971/6	0.061
970/3	0.121
971/4	0.032
970/4	0.049
1057/1	0.121
1060/2	0.024
1063/2	0.053
1066	0.032
1067/4	0.016
1067/3	0.016
1067/5	0.008
1068/1	0.028
1083/3	0.049

(1)	(2)
1068/2	0.016
1084	0.073
1082/3	0.061
1081/1 क	0.061
1080	0.141
योग	2.505

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कटौद ब्रांच माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 32/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-परसी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.465 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
115/1	0.180
117	0.180
46/1 क	0.081
46/5	0.024
योग 4	0.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-परसी माइनर (सिंघरा + सेरोसब डिस्ट्रीब्यूटरी).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 33/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भाँटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.433 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
437/3	0.122
437/2	0.104
434/2	0.061
425/1	0.004
424/1 424/2	0.081

(1)	(2)
414/1 415/1 423/2	0.024
413/1	0.036
414/5 415/5 423/8	0.016
403/8	0.040
414/4 415/4 423/7	0.008
413/3 415/3 423/5	0.053
436/1	0.061
403/15	0.008
403/14	0.020
404	0.049
405	0.077
406/3	0.004
406/1	0.057
398/9	0.101
406/2	0.012
408/3	0.045
408/1	0.121
242/2 ख 416/4	0.040
242/2 ग 416/5	0.077
242/1 क 416/1	0.154
241/9	0.040
227/3	0.008
241/6	0.012
241/8	0.040
450/1	0.061
450/2	0.049
450/3	0.024
450/4	0.020
453/3 अ	0.129
236/1	0.169
227/2	0.073
226/1	0.105
225	0.162
216/1	0.166
योग	2.433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भाँटा डायरेक्टर माइनर सिंघरा वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 34/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.450 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398/1	0.069
398/4	0.053
398/3	0.097
400/2	0.004
389/2	0.028

(1)	(2)
400/7	0.057
391/3	0.073
394	0.125
437	0.012
438/2	0.085
438/4	0.008
435/2	0.057
436	0.089
435/1	0.024
433/1	0.028
431	0.065
430/1	0.093
429/9	0.141
424/22	0.053
430/2	0.004
425	0.073
424/4	0.004
424/14	0.117
550	0.028
551	0.101
552/1	0.049
554/2	0.004
553	0.028
555	0.012
574/1	0.073
573/2	0.057
574/2	0.028
567/1	0.065
566/1	0.053
568/1 568/2 568/3	0.004
587/2	0.061
587/4	0.012
587/1	0.061
587/3	0.065
588/1	0.065
566/2	0.089
588/2	0.053
588/3	0.061
588/4	0.073
567/2	0.049
योग	2.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 35/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
491/2	0.057
499	0.089
481/3	0.093
481/2	0.101
581/1	0.174
5/2	0.053
575/4	0.045

(1)	(2)
508/3	0.020
814	0.142
1189	0.036
510/1	0.057
510/2	0.024
511	0.093
423/3	0.020
478/1	0.053
572/2	0.049
478/2	0.008
442/1	0.065
442/2	0.057
423/1	0.089
572/3	0.057
574, 575/1	0.117
575/3	0.049
587	0.121
462	0.061
588, 593	0.053
461	0.085
460	0.093
458	0.081
427	0.178
439/1	0.032
439/3	0.016
452, 453	0.053
439/4	0.008
457	0.036
440	0.053
441	0.069
428	0.101
425	0.036
791	0.049
793	0.024
1190	0.053
423/2	0.065
1171, 1174	0.109
394/4	0.129
434/1, 2	0.012
421	0.105
792	0.085
815	0.069
794	0.032
1126/2	0.016
1188	0.016
1185	0.049
1186	0.016
1181	0.162
1194	0.008
1178	0.012
1168	0.012
1169	0.053
1166	0.020
1180/1	0.045
1180/2	0.045
429/1, 2	0.004
423/5	0.004
816/1	0.008
816/2	0.020
1191/1, 2, 3	0.008
1187	0.004
1135	0.004
1176/1, 2	0.117
1288/1, 2	0.020
1167/1, 2	0.077
1293	0.053
1294	0.012
योग	4.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पासीद सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 36/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अडभार, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.872 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448/1	0.158
448/2-3	0.207
448/4	0.022
448/5	0.018
448/6	0.154
447/2	0.021
446	0.038
444/2	0.030
445/1	0.054
445/2	0.063
444/1	0.066
438/3	0.026
437	0.340
439/7	0.054
436/1	0.086
436/2	0.157
436/4	0.095
436/3	0.005
433/1	0.110
433/4	0.110
416	0.100
408/1	0.213
408/2	0.065
405/1	0.116
403	0.216
402/4	0.006
405/3	0.015
402/7	0.060
402/8	0.070
402/1	0.137
389/9	0.257
404/1-2	
389/7	0.105
389/8	0.177
389/10	
389/24	
385/2	0.153
385/3	0.017
385/6	0.157
378/3	0.086
349/1	0.148
348	0.343
347/3	0.010
347/1	0.126
343	
352/6	0.162
338/1	0.044
340/2	0.028
340/3	0.365
340/1	0.097
339/1	0.320
337/3	0.270
319	0.282
295	1.287
322/1	
286	0.034
287	0.040
289	0.024
290	0.024
203/4	3.080
203/3	1.024
244/1	0.039
244/2	0.018

(1)	(2)
244/7	0.022
244/15-17	0.128
244/8	0.136
244/9	0.002
246	0.055
योग	11.872

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-हरदी उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 37/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.519 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
472	0.117
474	0.129
478/1	0.150
478/2	
478/3	
479	0.057
460	0.121
482	0.024
177/1	1.194
177/2	
177/3	
178	0.069
179	0.077
338	0.020
341/1	0.129
341/2	
341/3	
341/4	
340/2	0.065
340/3	0.057
352	0.129
351/1	0.109
351/2	
353	0.045
354	0.142
364/1	0.221
364/2	
364/3	
364/4	
364/5	
364/6	
364/7	
364/8	
364/9	
364/10	
366/6	0.179
374/1	0.175
374/6	
374/2	
374/5	
374/11	
374/12	
374/7	
374/3	
374/4	
374/9	
374/14	
374/10	
374/13	
374/15	
374/16	
374/8	

(1)	(2)
385/1 385/2	0.008
386/1 386/2 386/3 386/4 386/5	0.142
388	0.077
390/1 390/2	0.105
417	0.157
415	0.061
416	0.061
437/1 437/2 437/3 437/4 437/5 437/6	0.299
438/1 438/6 438/7 438/2 438/3 438/4 438/5 438/8 438/9 438/10 438/11 438/13 438/14 438/15 438/16	0.397
योग	3.519

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सरवानी वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 38/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.533 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
340/2	0.129
252	0.073
255	0.162
245/1 245/2	0.032
246/1 246/2	0.049
248/1 248/2	0.129
50/1 50/2 50/3 50/4 50/5 50/6 50/7 50/8 50/9 50/10 50/11 50/12 50/13	0.251

(1)	(2)
52	0.032
39/1 39/2 39/3	0.162
42	0.012
41/1 41/2 41/3 41/4	0.146
40/1 40/2	0.012
21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9	0.227
292	0.032
293/1 293/2 293/3 293/4	0.085
योग	1.533

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भेड़ापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 39/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.996 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1	0.089
37 38 40	0.215
46	0.146
41	0.073
34/1	0.106
39	0.057
34/2	0.106
33	0.138
21/1 21/2	0.114
24 22 29/8	0.202
29/1	0.028
26/1	0.401
25	0.057
12	0.073
11	0.045
31 32	0.146
योग	1.996

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-फगुरम सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 40/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अंडी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.548 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/6	0.036
14/2	0.049
14/3	0.028
14/4	0.048
13/3	0.024
13/2	0.024
21	0.073
20/2	0.040
27/2	0.117
33/2	0.077
33/1	0.032
योग	0.548

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चरोदा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 41/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.593 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/5	0.275
120/1	0.141
120/2	0.068
119/1-2	0.109
योग	0.593

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-टाटा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 42/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कलमी, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.630 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196	0.121
191/3	0.130
191/2	0.032
190/2	0.020
190/1	0.162
190/5	0.028
185/2	0.020
179	0.316
895/1	0.053
895/2	0.065
898/1	0.016
898/6	0.024
898/5	0.008
898/8	0.008
898/9	0.024
894/2	0.061
894/3	0.081
896	0.142
897/1	0.069
897/2	0.113
907/1	0.093
907/3	0.024
908/2	0.020
योग	1.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मालखरौदा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 43/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163/3	0.073
164	0.016
140/1 ग	0.032
165/3	0.081
162	0.032
140/18 165/5	0.073
140/1 ख 165/2	0.057
140/2	0.008
167/2	0.016
167/1	0.040
108/4	0.049
108/2	0.057
108/3	0.077
109 110	0.105
108/1	0.101
111	0.049

(1)	(2)
112	0.101
104/2	0.057
योग	1.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पीहरीत माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 44/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
बरपाली माइनर	
293/3	0.056
294/3	0.085
294/2	0.053
295/6	0.073
295/7	0.008
295/3	0.004
295/12	0.081
296	0.012
330/1	0.004
बरभांठा सब माइनर	
294/4	0.061
295/5	0.073
295/7	0.045
295/10	0.004
295/11	0.012
298/3	0.020
298/1	0.093
323/10	0.036
323/3	0.162
299	0.016
323/12	0.008
322/6	0.045
321/2	0.085
319	0.024
318/1	0.008
320	0.081
योग	1.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बरपाली माइनर, बरभांठा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 45/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन--
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.634 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
472	0.032
471	0.028
470/1	0.040
470/2	
470/3	
470/4	
467/1	0.199
467/2	
467/3	
522/1	0.214
522/2	
522/3	
524/2 2	0.235
527/2	
524 5	
527	
529	0.065
530/1	0.069
530/2	0.040
531	0.004
538/1	0.004
538/2	0.113
538/3	0.174
538/4	
538/5	
538/6	
538/8	0.210
539/1	0.032
539/2	
538/9	0.259
544/1	0.101
544/2	
544/3	
544/4	
544/5	
544/6	
544/7	
575	0.057
573	0.065
547/1	0.012
547/2	
547/3	
547/4	
547/5	
547/6	
574	0.020
577/4	0.077
577/5	0.121
545/1	0.109
545/2	0.065
469	0.045
521/1	0.040
521/2	
552	0.024
570/1	0.129
570/2	
570/3	
570/4	
570/5	
570/6	
570/7	
570/8	
570/9	
570/10	
570/11	
योग	2.634

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कर्रा-पाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 46/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सेंदुरस, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.994 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
896	0.008
897/2	0.056
898/1	0.081
899/2	0.077
900/2	0.053
901/1	0.158
901/2	0.061
911	0.207
910/1	0.012
910/7	0.036
910/9, 12	0.069
917/2	0.045
937/3	0.081
938/6	0.101
939/1	0.097
939/2-5	0.008
940/1	0.028
940/4	0.117
940/5	0.025
945/9	0.174
947/4	0.113
948	0.101
950	0.073
951	0.024
910/5	0.024
910/2	0.020
910/3	0.020
910/10	0.020
910/4	0.024
910/6	0.081
योग	1.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 47/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोकरेल, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.520 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/2 135/3	0.323
138/1	0.230
138/6	0.064

(1)	(2)
138/4, 5	0.202
254/2	0.392
253	
256	
254/1	0.170
254/3	0.020
358/1	0.097
358/2	0.194
357	
372/1	0.105
370/4, 5	0.080
372/5	
371/1	0.052
383	0.052
380	
382	0.012
381/2	0.008
381/1	0.008
384	0.040
385	
386	0.016
387	0.016
391	0.008
393	0.012
394	0.016
392	0.028
395	0.012
398/1	0.008
398/2	0.004
399	0.020
400	0.040
402/1	0.020
401/1	
402/2	0.040
401/2	
403	0.040
412	0.226
411/1	0.279
410	0.072
409/2	0.263
420	0.093
421/1	0.202
421/2	
439	0.004
438/4	0.097
437/4	0.129
437/2	0.064
463/1	0.234
462/1	0.105
462/2	0.028
461	0.089
437/1	0.024
411/2	0.004
136/1	0.093
370/1	0.072
370/2	0.089
257	0.024
योग	4.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बोकरेल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 48/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कानाकोट, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.864 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.198
13/5	0.008
14	0.004
13/1	0.012
17	0.024
18	0.158
19/1	0.060
19/2	0.145
2	0.255
योग	0.864

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कठर्रा-पाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 49/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
645	0.077
656/3	0.008
656/2	0.016
657/2	0.069
705/1	0.237
706	0.081
707/3	0.069
707/1	0.045
707/3	0.061
योग	0.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बरभांठा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 50/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147/2	0.020
147/3	0.004
779/2	0.069
782	0.040

(1)	(2)
783	0.004
780/1 781/1	0.040
788/2	0.012
788/3	0.028
788/1	0.045
788/4	0.024
788/5	0.040
787/1	0.004
789	0.020
793	0.097
811/3	0.049
811/4	0.032
810/5	0.040
810/0	0.012
813/1	0.016
813/2 813/3	0.032
809	0.016
814	0.020
815	0.012
816	0.053
817	0.016
818	0.016
819	0.032
826/1	0.008
826/2	0.073
825/2	0.004
825/1	0.077
828	0.057
833	0.061
834/2	0.134
832	0.004
योग	1.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नगझर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 51/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा खुर्द, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
125/1-2	0.049
122	0.057
119	0.032
117/2	0.053
114/3	0.032
114/1	0.012
114/4	0.036
524	0.004
525	0.045
526	0.016
527/3	0.093
531/1	0.134
531/2	0.032
501/1-2	0.016
101	0.129
531/3	0.146
536/1	0.040
534	0.089
533/1-4	0.045

(1)	(2)
595	0.032
594/1	0.040
योग 21	1.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवापारा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 52/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरमाल, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/1, 2, 3, 4, 5	0.182
योग 1	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-देवरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 53/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.655 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	0.336
7/2	
7/3	
7/4	
7/5	
7/6	
7/7	
7/8	
8	0.413
16/1, 2, 3, 4, 5	0.206
19/1	0.146
19/2	
19/3	
73	0.053
72	0.158
71	0.113
69/1	0.138
69/2	
69/3	
69/4	
69/5	

(1)	(2)
70/1, 70/2, 70/3, 70/4	0.073
68/1 क, 68/1 ख, 68/2, 68/3	0.129
88/1, 88/2, 88/3, 88/4	0.008
103/1 क, 103/1 ख, 103/1 ग, 103/2, 103/3, 103/3 क, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8	0.174
102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5	0.138
106	0.008
99/1, 99/2, 99/3, 99/4	0.020
107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8	0.421
110	0.121
योग 17	2.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-देवर-माल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 54/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा खुर्द, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
565	0.040
563/1, 2, 3, 4	0.024
562/1-2	0.081
588/3	0.040
588/2	0.036
589	0.004
590/1-2	0.109
591	0.028
592	0.024

(1)	(2)
593/1	0.089
594/1	0.089
594/2	0.032
597	0.142
598/1-2-3	0.008
595	0.057
596/1	0.016
596/2	0.028
533/1-2-3-4	0.016
531/3	0.077
616/1-2-3	0.146
530/1	0.125
529	0.044
535	0.028
योग	1.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 55/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बरपाली, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.791 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
334	0.008
336	0.109
337	
339/7	0.041
339/9	0.045
339/6	0.028
339/4	0.012
339/5	0.061
340/2	0.004
340/4	0.109
340/5	0.028
360/2	0.049
360/1	0.024
360/3	0.004
359	0.041
358/1	0.008
353/1	0.012
353/2	0.020
356/2	0.032
355	0.024
352	0.008
412	0.093
335	0.023
356/1	0.008
योग	0.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 56/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
420/1	0.020
417/1	0.121
414	0.093
415/1	0.113
412/2	0.142
412/5	0.085
402/2	0.097
401/2	0.004
401/3	0.040
395/1	0.040
395/2	0.036
394/2	0.065
394/1	0.121
260/23	0.004
260/13	0.032
260/12	0.036
260/1	0.121
260/7	0.081
260/27	0.089
260/28	0.028
264/1	0.081
263/4	0.040
263/3	0.077
267/2	0.004
268/1	0.109
270/3	0.049
272/1	0.004
271	0.020
273/1	0.057
273/2	0.053
273/4	0.061
290/1	0.020
290/2	0.028
276/7	0.020
276/4	0.028
278	0.020
279	
277	0.016
289	0.045
419	0.012
262/3	0.040
योग	2.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवापारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 57/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-जोगी डीपा, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.069
32	0.008
योग	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भडोरा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 58/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोमो, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.344 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/4	0.084
28/5	0.048
28/9	0.024
87/4, 87/5	0.064
88	0.064
89	0.072
91/1, 90/3	0.040
90/2, 91/2	0.052
92/2, 93/3	0.040
63/10	0.008
94/4	0.080
106	0.004
95/1	0.044
109/1	0.052
109/2	0.032
110/2	0.060
110/1	0.020
107/2	0.080
105/2	0.052
125	0.064
127	0.040
128/2	0.044
547/1	0.044
549/2	0.056
548/3	0.052
556/2	0.032
557	0.084
556/4	0.008
योग	1.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवापारा उपशाखा वितरक लघु वितरक 2 आर/एल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 59/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-धोबनीपाली, प. ह. नं. 9
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
107/3	0.036
109/1	0.125
109/2	0.040
112	0.056
113	0.008
117	0.044
119	0.008
120	0.089
121	0.032
122	0.032
योग	0.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कटौद ब्रांच माइनर (सिंघरा देवरघटा) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 60/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
   (ख) तहसील-मालखरौदा
   (ग) नगर/ग्राम-कुरदी, प. ह. नं. 13
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.219 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/8	0.045
4/5	0.080
66	0.004
67/2	0.053
67/3	0.053
67/4	0.040
65/1	0.028
68	0.049
5/2	0.061
65/2	0.020
72/4	0.080
60/1	0.073
59/2	0.004
56/1	0.061
54	0.028
53/2	0.069
51/6	0.057
47/2	0.057
46/5	0.045
46/2	0.061
45/1	0.004
44/1	0.061
44/2	0.024
37/2	0.065
36/5	0.020
35/1	0.032
45/2	0.045
योग 27	1.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 61/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जुड़गा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.907 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
382	0.166
796 / 797	0.195
799	0.344
800 / 801	0.202
योग	0.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 62/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.802 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
690/2	0.016
812/7	0.202
688/6	0.129
689/12	0.122
689/13	0.077
689/3	0.118
688/7	0.024
823/6	0.062
823/2-अ	0.004
823/2-ब	0.004
823/3	0.044
योग	0.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बीरभांठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 63/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अडभार, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.746 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1235/6	0.226
1235/5	0.068
1235/1	0.085
1241/4	0.251
1241/1	0.080
1241/2	0.052
1241/7	0.048
1241/10	0.012
1246/1	0.210
1246/10	0.036
1247/6	0.076
1247/11	0.016
1247/12-13	0.060
1247/2	0.028
1247/4	0.056
1233/16	0.052
1233/17	0.056
1270/5	0.149
1233/2	
1268/2-3	0.105
1266/2	0.202
1312/3	0.008
1311/1	0.076
1312/4	0.052
1312/2	0.020
1312/5	0.056
1313/3	0.052
1315/6	0.064
1316/2	0.109
1238	0.441
योग	2.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अडभार माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

प्र. क्र. 344.—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम-फगुरम प. ह. नं. 09 तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की कुल निजी भूमि 7.510 हेक्टेयर का सिंघरा वितरक नहर निर्माण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 22-11-2002 क्रमांक 729 (छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-एक दिनांक 3-1-2003 क्रमांक 1 के पृष्ठ क्रमांक 16 व 17 में प्रकाशन) विलोपित (निरस्त) किया जाता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2003

प्र. क्र. 344/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/2	0.279
79/2	0.008
485	0.202
652/2	0.036
67	0.065
66/1	0.162
69/2	0.142
473/1	0.065
66/3	0.093
66/9	0.138
42/1 ज	0.194

(1)	(2)
68 69/1	0.049
71 72/2	0.121
47/2	0.040
72/1	0.154
473/2	0.045
73/5	0.049
73/2	0.142
44/2	0.159
368/1 368/3	0.198
44/1	0.150
43/1	0.085
42/2 घ	0.061
42/1 ग	0.113
347/2	0.109
42/1 क	0.202
164/3	0.226
164/4	0.206
347/1	0.096
348	0.040
42/1 घ	0.073
349/1	0.259
361	0.312
359/1	0.004
473/3	0.190
344/1	0.057
362/3	0.069
362/1	0.093
362/2	0.089
360	0.045
367/1	0.089
363/2 364/2	0.045
477	0.040
476	0.049
475	0.121
474	0.291
482	0.077
484	0.036
470	0.113
469	0.101
488	0.073
448 493/1	0.085
654/4	0.101
631/2	0.045
631/3	0.069
487	0.129
654/3	0.049
629/2	0.077
667	0.069
663	0.049
489/2 490	0.016
662/2	0.101
652/1	0.012
630/1	0.138
632	0.012
653 653 653	0.489
654/3	0.116
652/3	0.061
651/2	0.053
651/3	0.255
629/1	0.056
633/1 633/1	0.174
630/2	0.061
631/1	0.178
634	0.246
637/1	0.024
633/2 633/4 633/5	0.178
796/1	0.040
800/3 800/2	0.223
803/3	0.105
800/1	0.109
802/1	0.065
801 798/1 798/3	0.150
804	0.166
798/2	0.061
802/2 घ	0.142
802/2 ख	0.129
802/2 ग	0.134
803/4	0.214
योग	10.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-
सिंघरा वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.